223

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर (म.प्र.)

नि0प्र0क्र0 R 679 II/13 सन् 2013

1. राजीव अवस्थी आयु 28 वर्ष तनय हरिश्चन्द्र अवस्थी निवासी ग्राम ढ़ड़ारी तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)..... **निगरानीकर्ता**

बनाम

1. श्रीमती दुर्गा आयु 50 वर्ष पुत्री स्व0श्री शारदा प्रसाद गंगेले पत्नी श्री जगदम्बा नायक निवासी ग्राम रोहनिया (शाहनगर) जिला पन्ना (म0प्र0)
2. श्रीमती अंगूरी आयु 48 वर्ष पुत्री स्व0श्री शारदा प्रसाद गंगेले पत्नी श्री बृजकिशोर पाठ्क निवासी ग्राम पगरा (अमानगंज) जिला पन्ना (म0प्र0)
3. श्रीमती मालती आयु 45 वर्ष पुत्री स्व0श्री शारदा प्रसाद गंगेले पत्नी श्री अक्षय कुमार रिछारिया निवासी ग्राम तिंदनी (शाहनगर) जिला पन्ना (म0प्र0)
4. श्रीमती फूलवती आयु 58 वर्ष पुत्री स्व0श्री स्व0श्री शारदा प्रसाद गंगेले पत्नी हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम ढ़ड़ारी तहसील व जिला छतरपुर (म0प्र0)....
5. शासन म०प्र० — — — — — — — **गैर निगरानीकर्तागण/उत्तरवादीगण**

आज दि. 18-2-13

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-रा0सं0निगरानी विरूद्ध अपील प्रकरण क्रमांक 72/अपील/10-11 श्रीमती दुर्गा नायक वनाम स्व0श्री शारदा प्रसाद बगैरह अनुविभागीय अधिकारी महोदय, छतरपुर आदेश दिनांक 03.01.2013</u>

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करते हैं कि-

-:निगरानी के तथ्य:-

1. यह कि भूमि खसरा नम्बर 836, 837, 838, 839 रकवा क्रमशः 0-279, 0-497, 0-829, 1-096 कुल किता 04 कुल रकवा 2-701 है स्थित ग्राम ढ़ड़ारी निगरानीकर्ता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.06.2010 को मुब. 9,90,000/- (नौ लाख नब्बे हजार रूपया) में गैर निगरानीकर्तागणों के पिता शारदा प्रसाद गंगेले तनय गोकुल प्रसाद गंगेले से क्रय किया था तथा राजस्व अभिलेखों में नामांतरण भी करा लिया गया था उपरोक्त भूमि पर वर्तमान में निगरानीकर्ता के नाम दर्ज है एवं निगरानीकर्ता का कब्जा है। शारदा प्रसाद गंगेले की मृत्यु हो चुकी हैं जिनके वारसान गैर निगरानीकर्तागण हैं उपरोक्त भूमि के संबंध में गैर निगरानीकर्ता क्रमांक 02 श्रीमती अंगूरी देवी द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 51ए/11 जिला न्यायाधीश महोदय जिला न्यायालय छतरपुर में किया है दूसरी ओर इसी भूमि के संबंध में अपील गैर निगरानीकर्ता क्रमांक 1, 2, 3 द्वारा राजस्व न्यायालय एस.डी.ओ. छतरपुर के न्यायालयों में अपील प्रकरण क्रमांक 73/अपील/10-11 पेश की है। जो किसी भी प्रकार से प्रचलन योग्य नहीं है।

18/2/13

2. यह कि भूमि खसरा नम्बर 836, 837, 838, 839 रकवा क्रमशः 0-279, 0-497, 0-829, 1-096 कुल किता 04 कुल रकवा 2-701 हे0 स्थित ग्राम ढ़ड़ारी तहसील व जिला

क्रमशः-2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक निगरानी-679-दो/2013 जिला छतरपुर राजीव विरूद्ध दुर्गा व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019 10.1.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़ एवं अनावेदक क्रमांक 1 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 72/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 03-01-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-02-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 10.1.19 सदस्य	